न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 04 /2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. चौथी पुत्री वेलाराम, 2. कीकी पुत्री वेलाराम, 3. सोनी पुत्री वेलाराम, जातिगण सीरवी (जणवा), निवासीगण बाली, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)	—	1. नेकाराम पुत्र वेलाराम, 2. खीमाराम पुत्र वेलाराम 3. पुनाराम पुत्र वेलाराम 4. स्व. पुखराज पुत्र वेलाराम के का.मु. वारिशानः 4/1. श्रीमती पुनी पत्नि पुखराज 4/2. शान्ति पुत्री पुखराज 4/3. ममता पुत्री पुखराज 4/4. सन्तोष पुत्री पुखराज जातिगण सीरवी (जणवा), निवासीगण बाली, तहसील बाली, जिला पाली (राज.) 5. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, बाली, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः–

(1) अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मण के. चौधरी
(2) रेस्पोडेण्ट सं. 1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार
(3) रेस्पोडेण्ट सं. 4/1 लगायत 4/4 की ओर से अधिवक्ता सी.पी. व्यास व प्रकाश चौधरी

निर्णय

दिनांकः– 17/2/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार, बाली (भू.अ.) द्वारा ग्राम बाली, तहसील–बाली के नामान्तरकरण सं. 252 दिनांक 03.12.1993 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से धारा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आये जिनकी उपस्थिति में प्रकरण के निर्णय हेतु बहस अधिवक्तागण सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम बाली, तहसील बाली, जिला पाली में अपीलान्ट्स के पिता श्री वेलारामजी पुत्र जेठाजी व उनके अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 2554 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2555 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2556 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2557 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2589 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.17 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2591 रकबा 0.27 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2596 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2598 रकबा 0.51 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2599 रकबा 0.26 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2600 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2601 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 2174 रकबा 1.25 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 2175 रकबा 1.97 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नम्बर 2169 रकबा 0.49 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2170 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2172 रकबा 0.53 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2173 रकबा 1.61 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2182/3561 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2182/3565 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 2176 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 2177 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 2592 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 2593 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 2595 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 2182/3584 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 2597 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, कुल रकबा 13.10 हैक्टर वार्षिक लगान 279.80 रूपये आई हुई स्थित है। जिस भूमि में स्वर्गीय वेलारामजी पुत्र जेठाजी का 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज था। अपीलान्ट के पिता वेलाजी पुत्र जेठाजी की मृत्यु 07.08.1988 को हो गई है तथा उनके वारिशान अपीलान्ट्स के अलावा नेकाराम, खीमाराम, पुनाराम व पुखराज तथा अतियाबाई रहे है। बाद में अतियाबाई की मृत्यु हो गई एवं पुखराज की मृत्यु होने से उनकी जगह उनके वारिशान् का नाम दर्ज किया गया। अपीलान्टस के पिता वेलाजी पुत्र जेठाजी की मृत्यु के समय अपीलाण्ट तीनों जीवित

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

थी लेकिन रेस्पोडेन्ट ने बाले–बाले राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलावट कर वेलाजी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 252 पटवारी हल्का से तारीख 25.11.1993 को भरवाया और तहसीलदारजी बाली द्वारा दिनांक 03.12.1993 को स्वीकृत किया गया। जिसमें अपीलान्ट्स का नाम स्वर्गीय वेलारामजी की जाईन्दा पुत्रियाँ होने के कारण इन्द्राज किया जाना कानूनन आज्ञापक है। इसके बावजूद भी दर्ज नहीं किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण 252 Ab initio Void and Honest होने से निरस्त करने योग्य है। साक्ष्य में रेकर्ड व दस्तावेज पेश है।

खातेदार वेलाजी पुत्र जेठाजी, जाति से जणवा सीरवी थे, जो हिन्दू थे और हिन्दू विधि द्वारा शासित होते रहे है। हिन्दू विधि के प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट्स का भी वेलाजी पुत्र जेठाजी की उपरोक्त खातेदारी की भूमियों में प्रथम श्रेणी के विधिक वारिशान् होने से कानूनन हक–अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति के समय तमाम विधिक वारिसानों की जांच कर उनको सुनते हुये विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत करना था। जिसकी पालना विधिक रूप से नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी व पुश्तैनी भूमि के सम्बन्ध में अपने विधिक हक–अधिकार रखने के सम्बन्ध में दृष्टान्त क्रमशः पेश किये:– DNJ (SC) 2015, GMG Engineering Industries (M/s) & Ors..... V/s ISSA Green Power Solution (M/s.) & Ors.... 2015 Page No. 592 to 596 एवं RRT 2017 (1) Board of Revenue Rajasthan, Ajmer Mohanlal v/s Basanti Page No. 42 to 44.

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथनों को स्वीकार करते हुए अपने पेश जवाब को दोहराते हुए कथन किये कि अपील में वर्णित कृषि भूमि हमारे स्व. पिता वेलाजी पुत्र जेठाजी की 1/3वें हक–हिस्से की सह–खातेदारीशुदा आई हुई थी। स्व. वेला पुत्र जेठा की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 252 भरवाते वक्त अपीलान्ट्स तीनों जीवित थी। लेकिन इन्होंने उक्त नामान्तरकरण भरवाते वक्त किसी भी प्रकार से राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कोई मिलावट नहीं की है। जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज कर अब उपरोक्त वर्णित भूमि में अपीलाण्ट्स जो स्व. वेलाजी पुत्र जेठाजी की जाईन्दा पुत्रीयां है, जिनका नाम बहैसियत विधिक वारिशान् राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाता है तो हम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को कोई उजर, एतराज नहीं है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 लगायत 4/4 के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किये कि अपील म्याद बाहर है एवं अपीलान्ट्स ससुराल में निवास करती है, जिससे उक्त भूमि पर इनका कोई किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वेलाजी पुत्र जेठाजी की खातेदारी भूमि में बिना कब्जे व काश्त के अपीलाण्ट्स को कानूनन विधिक हक–अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बाली द्वारा ग्राम बाली तहसील बाली के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 252 दिनांक 03.12.1993 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् प्रथम सूची में वर्णित विधिक वारिसानों एवं दस्वावेजों की जांच कर दोनों पक्षों को सुनवाई समुचित अवसर देने के उपरान्त नियमानुसार कानून संगत पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही की जावें। तहसीलदार, बाली को निर्णय की प्रति पालनार्थ अलग से भेजी जावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

निर्णय आज दिनांक 17/2/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)